RAJYA SABHA

Friday, the 10*th March*, 2006/19 *Phalguna*, 1927 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

National Policy on Land Use

*281. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no national policy on land use in our country;

(b) whether it is also a fact that the soil Management Techniques like nutrient buffer power concept are not adequately recognized in the country;

(c) if so, the reasons therefor and how it affects our foodgrain output;

(d) if not, the details thereof including the details regarding the change of agricultural land use;

(e) whether China has harvested more than 550 million tonnes of foodgrain compared to our 200 million tonnes of foodgrain by using abovesaid techniques; and

(f) if so, the comparative study thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (f) Land is a State subject. Ministry of Agriculture, had, however, circulated 19 points National Land Use Policy Outlines (NLPOs) approved by the National Land Use and Wastelands Development Council (NLWC) under the Chairmanship of the Prime Minister in February, 1986 to States/ UTs for its implementation. It is for the State Land Use Boards (SLUBs) to oversee implementation of these action points.

Agricultural/cultivable land which includes, net sown area, fallow land, culturable wasteland land, land under crops and groves has remained more or less constant. Agricultural land was 183.63 million ha. in 1998 and the same was 182.92 million ha. in 2003. During the same period, land under non-agricultural use has increased from 22.80 million ha. to 24.25 million ha. This increase in non agricultural land use appears to have been met from both cultivable and wastelands.

Soil fertility evaluation based on nutrient buffer power concept is well recognized. Soils in India have also been characterized with respect to this concept. Its application in regular soil testing programmes is not, however, very common as the technique is complex and cumbersome to follow. In this country, a simple, cheap and quick method for soil fertility evaluation requiring analysis of large number of soil samples is desirable.

A suitable land use policy plays a role in sustaining crop productivity; various other factors like efficiency of production inputs (Soil, Water and Nutrients), minimizing production losses caused by pests and weeds, post harvest processing, and handling are of even more crucial importance. These aspects are receiving constant attention of the Central and State Governments through suitable programmes, and of the National Agricultural Research System through researches for improvements in these spheres.

China's higher food-grain production is attributable to greater use of chemical fertilizers (40 million tonnes Nitrogen, Phosphorus, Potash against 18 million tonnes in India). That country also utilizes higher quantities of organic fertilizer (18 million tonnes against 4-6 million tonnes in India). Government of India is promoting the concept of the Integrated Nutrient Management to sustain and enhance soil fertility through optimal use of chemical and organic nutrients. Another factor for larger foodgrain production in China is the higher use of hybrid varieties and higher water productivity etc. compared to India.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इतने लम्बे समय के बाद भी सरकार कृषि और कृषि योग्य भूमि के संबंध में अभी तक कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर सकी है। मैं यह कह सकता हूं कि सरकार समुचित कृषि नीति बनाने में पूरी तरह असफल रही है। अगर सरकार के उत्तर को देखा जाए तो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि योग्य भूमि के कुल रकबे में कमी आई है। सरकार को इस बात की जानकारी भी होगी कि इस

देश में कृषि योग्य भूमि 165 मिलियन हेक्टेयर है और 116 लाख कृषकों में यह भूमि फैली हुई है। 130 लाख कृषक खेती करते हैं ...(व्यवधान).

श्री सभापति: यह तो जवाब में लिखा हुआ है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: और 110 लाख कृषि मजदूर इस पर निर्भर हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, जो कृषि-योग्य भूमि है, उसके अलावा बंजर भूमि और लवण भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या नीति अपना रही है?

श्री शरद पवार: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के पहले सवाल का प्रश्न है कि देश में कोई पॉलिसी नहीं है तो यह बात सच नहीं है। भारत सरकार की तरफ से 1986 में देश के सभी राज्यों में एक पॉलिसी तय की गई थी और गाइडलाइन्स दी गई थी कि हर राज्य में इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। संविधान के मुताबिक यह जिम्मेदारी और यह अधिकार राज्य सरकार का है। इसलिए इस पर अमल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। देश के बहुत से राज्यों ने इस पर कदम उठाए हैं और उन्होंने इस पर काम भी शुरू किया है। यह बात सच है और जो यहां पर माननीय सदस्य ने कहा है कि देश में बंजर भूमि का परसेंटेज बड़े पैमाने पर है। यह भूमि कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग में लाने जाने के लिए, हर राज्य में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। यह विभाग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, लेकिन यह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। बंजर-भूमि विकास के कार्यक्रम के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से देश के सभी राज्यों को कम्युनिकेट किया गया है। हर राज्य में इसका एक बोर्ड बनाकर, कुछ न कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यह बात सच है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 2003 में जितने हेक्टेयर भूमि थी, उसमें कमी आई है और वह गैर कृषि योग्य भूमि में बदलकर 22 के बजाए 24 मिलियन हेक्टेयर भूमि हो गई है। यह तो कृषि विभाग का ही काम है, यह ग्रामीण विकास का काम नहीं है। मैंने यह सवाल पूछा था कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इसका ठीक जवाब नहीं दिया है। हमारे यहां पर पुरानी परम्परा रही है कि किसान इस प्रकार की उपज पैदा करता था, जिसके कारण खेती का उत्पादन घटता नहीं था। वह हर बार अपनी फसल में परिवर्तन करता था और खेती का उत्पादन बनाए रखता था। आज स्थिति यह है कि खेती का उत्पादन भी घट रहा है और खेती योग्य कृषि भूमि भी घट रही है। यदि चीन के मुकाबले में देखें ...(व्यवधान).

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कर लें और मेरे समय का जरा ध्यान रखें।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सभापति जी, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। चीन में, जहां पर 500 लाख टन अनाज पैदा हो रहा है, वहीं हमारे यहां 200 लाख टन

अनाज पैदा हो रहा है। अनाज की कमी देश के अंदर है और सरकार बाहर से अनाज मंगा रही है। अभी पिछले दिनों एक सम्मलेन हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कृषि, हमारे देश की आर्थिक नीति और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा आधार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की घोषणा की थी और जो 19 सूत्र आपने कृषि आयोग द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर बनाए हैं, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री शरद पवार: सभापति जी, चीन के बारे में जो बतलाया गया है, एक बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चीन में जो जमीन कृषि के लिए इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान में जो जमीन कृषि के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चीन में जो total fertiliser इस्तेमाल होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश शामिल है, वह 60 मिलियन टन हर साल इस्तेमाल होता है, इसकी तुलना में हिंदुस्तान में 18 मिलियन टन इस्तेमाल होता है, इतना फर्क है। दूसरी बात यह है कि चीन की जो जमीन है, वहां पानी का प्रबंध हमारे देश के मुकाबले ज्यादा है। तीसरी बात है कि वहां high-yielding varieties का इस्तेमाल हमारे देश के मुकाबले ज्यादा होता है। चौथी बात यह है कि जहां तक organic fertiliser के इस्तेमाल का सवाल है, चीन में 18 मिलियन टन organic fertiliser का इस्तेमाल होता है, जब कि हिंदुस्तान में 4 से 6 मिलियन टन organic fertiliser का इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान और चीन में यह फर्क है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम organic fertiliser का इस्तेमाल किस तरह से ज्यादा करें, जिससे जमीन के texture में सुधार हो और इसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिले। इन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति जी, हिंदुस्तान में जो किसान, fertilisers का इस्तेमाल करते हैं, वे ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी जो total इस्तेमाल होना चाहिए- 4:2:1- वह नहीं होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा जैसे राज्य में NPK का इस्तेमाल करते समय, वे लोग नाइट्रोजन 40 और पोटाश का इस्तेमाल 12 है, जब कि यहां 12 नहीं 20 की आवश्यकता है, लेकिन यहां के किसान पोटाश कम देते हैं, नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं। इससे जमीन की क्वालिटी में खराबी आती है। इसकी वजह से पिछले कई सालों से हरियाणा और पंजाब में fertiliser का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन दिन-पर-दिन productivity कम हो रही है, क्योंकि इसमें जो balanced fertiliser इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, वह यहां कम इस्तेमाल हो रहा है। इसका प्रभाव हमारी productivity पर पड़ रहा है। इसलिए चीन और हमारी productivity में फर्क आ रहा है। इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है बाकी जो details

है, उनके बारे में हमने राज्य सरकार को सूचना दी है कि हर क्षेत्र में उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर अमल करने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है।

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Hon. Chairman, Sir, I will ask the Minister of Agriculture, who himself is an agriculturist and uses the modern technology, one thing. It has come to our knowledge that some agreements have been signed on transfer of modern technology regarding agriculture with the United States during the visit of President Bush. Would you please tell the House about it?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, during the visit of President Bush, one agreement has been signed. In fact it was not signed during his visit. When our Prime Minister visited Washington. In fact, in that visit only this particular subject, i.e., Knowledge Initiative was approved. In the knowledge Initiative, we are expecting cooperation and support from the US agriculture universities/US universitieis that they will give the latest technology and last-stage research on various crops to our own organisations like the Indian Council of Agriculture Research and others.

Secondly, they will provide opportunities for postgraduate students who can go to the United States to learn about the latest technology, and a number of other subjects. Thirdly, there is an understanding that in agro-processing units, whatever is the new technology, that will be available to us.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, in the reply, it is mentioned that the Land Use Boards are working according to the directions given in the year 1986. Sir, it is very much alarming that in our country the agricultural land is not expanding and the land mafias are using agriculture land for their own purposes. Large-scale reclamation is going on, on the agriculture land. As far as Kerala is concerned, almost 74 per cent of the total land, where we are cultivating paddy, is already reclaimed: only 25 per cent is balance. Sir, sand mining is also another problem by which we are facing the problem of lack of water and irrigation facilities. So, it seems that the situation is very much alarming and the Central Government is still maintaining the record of 1986. No new directions have been given. So, on the basis of this alarming situation, and if we go through the Mid Term Appraisal of the current Five Year Plan which says that it is very alarming and there is a minus growth with regard to land, naturally, the Government has to take steps to avoid the reclamation of land and sand mining of the

rivers. What would be their proposal? He was talking about 1986. Will the Government review the situation?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, in 1986, directions were given regarding the National Land Use Policy. And, according to these directions, most of the States have set up Boards and they are working according to their experts and according to the local situation. But the real serious problem, which is also mentioned in the reply, is of soil erosion. The country's soil erosion, if you see the figures, is 16.4 tonnes per hectare per year. It is a quite high size. And, secondly, over 5.3 billion tonnes of soil is lost every year through water erosion, and, because of that, loss of around 8 million tonnes of plant nutrients annually. So, this is a very serious situation and we have to concentrate here. If we are not going to address this, I don't know what will happen after few years. In fact, I am glad that the hon. Member has brought this to our notice. He asked this question and because of that I myself have gone in details. I never studied it. But, it took me 18 hours to understand this subject. It is really a serious situation and we will take all precautions. And, because of this discussion, the alarming situation has been brought to the notice of the Government.

श्री जनेश्वर मिश्र: धन्यवाद सभापति महोदय। बंजर जमीन के बारे में यह सवाल पूछा गया है। दो तरह की जमीन होती है, जिस पर कोई उपज नहीं होती है-एक बंजर और दूसरी ऊसर। बंजर जमीन को तो छोड़िए, लेकिन ऊसर जमीन में नमक का हिस्सा होता है और उसमें कोई पैदावार नहीं होती। उसका इलाज बन चुका है कि अगर उसे पानी में डुबो दिया जाए और दो तरह की खाद, जिप्सम और पाइराइट, लगातार डाल दी जाए, तो उसमें पैदावार होने लगती है। यह राज्य सरकार के बूते के बाहर है और यह उस पर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा पड़ता है। क्या केन्द्र सरकार अपने कृषि के बजट में कुछ इतना इजाफा करेगी कि राज्य सरकारों के कब्जे में जितनी नमक वाली ऊसर जमीन है, उसको पानी से भरने के लिए और उसमें जिप्सम, पाइराइट मसाला डलवाने के लिए राज्य सरकारें अपने किसानों को प्रोत्साहित करें, जिससे खेती में पैदावार की मात्रा बढ़ सके?

SHRI SHARAD PAWAR: Salty land is one of the important issues. It is affecting some of the States where more water has been used and waterlogging situation has been created. यह बात सच है कि उसको दुरुस्त करने के लिए अगर जिप्सम का इस्तेमाल किया जाए, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। साथ-साथ अन्दर ड्रेनेज निकालने की भी आवश्यकता है। जमीन में जो ज्यादा पानी है, उसे बाहर निकालने के लिए कुछ प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। हर स्टेट ने इस बारे में कुछ-न-कुछ प्रोग्राम लिया

है। मगर ऑनरेबल मेम्बर ने जैसा बतलाया, यह बात सच है कि इसमें लागत ज्यादा आती है. इसमें जब तक हम लागत ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तब तक स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। इसलिए उनके सुझाव पर हम सोचेंगे और कोई प्रपोजल जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स को इस में मदद हो सकती है और किसानों को मदद हो सकती है, ऐसी नीति इस में हम बनाएंगे।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Thank you, Mr. Chairman, Sir. My question relates to the ownership of the land. Sir, the principal reason why the private investment and the public investment in agriculture is lacking, it the uncertainty of ownership...(*Interruptions*)... According to the principle of *eminence juris*, the Government is the owner of the land, and the farmers use the land at the pleasure of the Government. That is the reason why the land can be acquired by the Government any time, and that is the reason why farmers are not prepared to invest in the land. Is the Government considering abolition of the principle of *eminence juris* so that the farmers become the owners of the land?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, for all pactical purposes, farmers are the owners. There is no two opinion about that. Certainly, issues have been raised, that is correct. But, in the Indian system, still, the farmer who controls, who owns, has got every right over that land. It is true that the investment in the agricultural sector is coming down day by day, and that is affecting this sector. But the real problem is the fragmentation. You see, the per capita availability of land in the country is day by day going down. In 1990, the per capita land which was available per family, was 0.20 hectare. In the year 2000, it has gone down to 0.16 hectare, and in the year 2025, there is an estimate that it will come down to 0.12 hectare. तो परिवार बढ़ता गया, परिवार में डिस्ट्रिब्यूशन हो गया।

श्री सभापतिः पॉपुलेशन बढ़ती गयी।

श्री शरद पवारः और इस से जमीन कम हो गयी। इस तरह यह सब मामला इकॉनोमिक हो रहा है और इस में इनवैस्ट करने की ताकत किसानों की कम हो गयी, यह बात सच है।

Cleanliness in Government Hospitals

*282. SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIPPAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any fresh initiatives have been taken by Government to improve the cleanliness level in various Government hospitals where the situation is dismal;